

लोक सुनवाई का वृत्त।

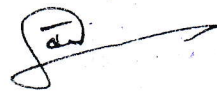
श्री पिन्टु कुमार, पिता: श्री रविन्द्र सिंह, ग्राम-बेला, पोस्ट-चिरियावाँ, थाना-अतरी, जिला-गयाजी, (बिहार) द्वारा औरंगाबाद सोन नदी स्थित औरंगाबाद सोन 15A बालू घाट, मौजा-नवनेर (डीहरा), पोस्ट+थाना-ओबरा, प्रखंड-ओबरा, जिला-औरंगाबाद, बिहार के अन्तर्गत बालू खनन परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते अधिसूचना सं०-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 एवं यथा संशोधित के तहत दिनांक 24.06.2026 को अपराह्न 03:00 बजे अंचल कार्यालय, ओबरा जिला-औरंगाबाद के प्रांगण में लोक सुनवाई के वास्ते।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं०-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत TOR File. No. SIA/1(a)3515/2026, dated 10.04.2026 के आलोक में श्री जय प्रकाश नारायण, अपर समाहर्ता (वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से) (जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी) जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद के प्रतिनिधि की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा दिनांक: 24.06.2026 को अपराह्न 03:00 बजे प्रखण्ड कार्यालय, ओबरा जिला-औरंगाबाद में लोक-सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक-1)

इस लोक-सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा नवबिहार टाइम्स, हिन्दुस्तान के माध्यम से दिनांक 08.05.2026 को प्रकाशित की गयी थी (प्रतिलिपि संलग्न)। लोक-सुनवाई के दौरान श्री मनोरंजन कुमार सिंह, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, गयाजी द्वारा लोक-सुनवाई में उपस्थित जन-समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं०-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक-सुनवाई की पृष्ठ-भूमि पर प्रकाश डाला गया। यह बालू खनन पट्टा औरंगाबाद जिला अन्तर्गत सोन नदी स्थित औरंगाबाद सोन-15A, मौजा-नवनेर (डीहरा), अंचल-ओबरा, थाना-ओबरा, जिला-औरंगाबाद में प्रस्तावित है। जिस क्रम में बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा श्री पिन्टु कुमार, को इस खनन पट्टा के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति आदेश (L.O.I.) निर्गत किया गया है, इस खनन पट्टा में कुल 30.0 हेक्टेयर क्षेत्रफल में प्रतिवर्ष 5,40,000, घन मीटर बालू का खनन प्रस्तावित है, इस योजना का कुल अनुमानित लागत ₹ 9 करोड़ 6 लाख 15 हजार है।

क्षेत्रीय पदाधिकारी, गयाजी द्वारा औरंगाबाद जिला अन्तर्गत औरंगाबाद सोन-15A, मौजा-नवनेर (डीहरा), अंचल-ओबरा, थाना-ओबरा, जिला-औरंगाबाद के परियोजना प्रस्तावक श्री पिन्टु कुमार को मंच के समीप आकर अपना परिचय देने के लिए कहा गया। तदनुसार लेसी श्री पिन्टु कुमार के द्वारा अपना परिचय लोक सुनवाई में उपस्थित सभी महानुभावों को दिया गया।

अपर समाहर्ता महोदय द्वारा लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उद्देश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव माँगा गया।



लोक सुनवाई कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अपर समाहर्ता महोदय की अनुमति से परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री नीतिश कुमार के द्वारा इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी (Corporate Social Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल-कण की रोक-थाम हेतु सड़को पर नियमित रूप से जल छिड़काव किया जायेगा साथ ही वाहनों पर ओवरलोडिंग नहीं की जायेगी एवं वाहनों को तिरपाल से ढक कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 3 मीटर की गहराई तक या भूजल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में कुल 300 वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा। बालू खनन के दौरान पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016 एवं Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining-2020 (EMGSM-2020) के प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य निम्नवत है:-

क्रमांक	नाम एवं पता	प्रतिक्रिया/सुझाव
1.	श्री धीरज कुमार, ग्राम-नवनेर डीहरा, प्रखंड-ओबरा, जिला-औरंगाबाद।	इनके द्वारा यह आपत्ति दर्ज की गयी कि घाट के समीप एक स्कूल अवस्थित है, घाट के चालू होने से स्कूल के बच्चों को वायु प्रदूषण की समस्या का सामना करना पड़ेगा। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा आश्वासन दिया गया कि वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु बालू लदे वाहन को पूर्णतः तिरपाल से ढक कर परिवहन किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा। परंतु श्री धीरज कुमार परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा दिये गए जवाब से संतुष्ट नहीं हुए तथा उक्त संदर्भ में लगातार विरोध प्रकट करते रहे।
2.	श्री राणा कुमार, पिता-श्री ब्रजेश कुमार सिंह, ग्राम-खरजावा, प्रखंड-ओबरा, जिला-औरंगाबाद।	इनके द्वारा यह आपत्ति दर्ज की गयी कि घाट के समीप एक स्कूल अवस्थित है, इस घाट के चालू होने से बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल-कण के कारण स्कूल के बच्चों को स्कूल आने और वापस घर जाने में वायु प्रदूषण एवं दुर्घटना जैसी समस्या का सामना करना पड़ेगा। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा आश्वासन दिया गया कि स्कूल आने एवं स्कूल से घर वापस जाने के समय में उक्त परियोजना में संचालित होने वाले वाहनों का संचालन पूर्णतः बंद कर

12

लोक-सुनवाई में उपस्थित हुए सभी ग्रामीणजनों द्वारा यह बतलाया गया कि पूर्व से इस घाट के समीप और भी बालू घाट संचालित है जिससे लगातार बालू लदे वाहनों के परिवहन के दौरान दुर्घटना की समस्या की सम्भावना निरंतर बनी रहती है। हम सभी ग्रामवासी आपस निवेदन करते हैं कि इस बालू घाट को चालू न किया जाय।

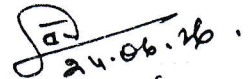
लोक सुनवाई कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय द्वारा बताया गया कि बालू उत्खनन के उपरांत गीले बालू को Secondary Storage Facility में एकत्रित करने के पश्चात् ही बालू का उठाव एवं परिवहन का कार्य किया जाये। वाहनों से बालू ले जाने के क्रम में नियमित रूप से परिवहन मार्ग पर जल का छिड़काव करेंगे एवं बालू से लदे वाहनों को तिरपाल से ढक कर ही ले जायेंगे। बालू की खुदाई 3 मीटर गहराई तक ही करेंगे। साथ ही स्थानीय लोगों को ही प्राथमिकता के आधार पर रोजगार मुहैया कराया जाये।

लोक सुनवाई कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय द्वारा लेसी को मंच के समीप आकर जनता द्वारा दर्ज की गई आपत्ति एवं शिकायतों का निराकरण करने हेतु कहा तत्पश्चात् लेसी के द्वारा बतलाया गया कि जो भी स्थानीय ग्रामीणजनों की शिकायतें हैं उनका अनुपालन सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाईन के अनुसार किया जायेगा।

जन-सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के सुझाव/शिकायत को संग्रहित करते हुए बालू घाट का प्रस्तावित खनन परियोजना के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई हेतु सक्षम प्राधिकार (SEIAA) को भेजने का निर्णय लिया गया।



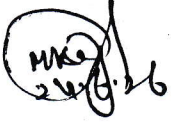
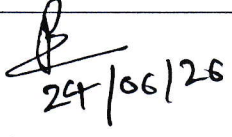
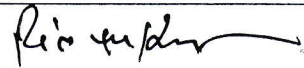
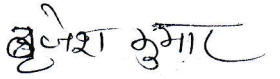
क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि.रा.प्र.नि.पर्वद, गयाजी

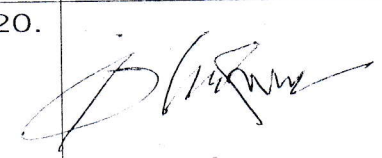


अपर समाहर्ता
(जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी)
औरंगाबाद

उपस्थिति सूची

श्री पिन्दु कुमार, पिता: श्री रविन्द्र सिंह, ग्राम—बेला, पोस्ट—चिरियावाँ, थाना—अतरी, जिला—गयाजी, राज्य—बिहार, द्वारा औरंगाबाद सोन नदी स्थित औरंगाबाद सोन—15A, बालू घाट, मौजा—नवनेर (डिहरा), पोस्ट+थाना+प्रखंड—ओबरा, जिला—औरंगाबाद (बिहार) का प्रस्तावित बालू खनन परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक: 24.06.2026 को 03:00 बजे अपराह्न में प्रखंड कार्यालय, ओबरा, जिला—औरंगाबाद में आयोजित लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित महानुभावों की सूची:

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.			
2.	मनोज कुमार सिन्हा	संस्थान प्रमुख बिहार प्रान्तीय गठना	
3.	राज कुमार	खान निरीक्षक औरंगाबाद	
4.	नीतिश कुमार	Agis Env. Research Pvt. Ltd. (Env. consultant)	
5.	Santosh Kumar	पर्यावरण प्रमुख	
6.	PINTU KUMAR	VI - BELA - ATRI GAWA BIHAR	
7.	अमित कुमार	डिहरा	
8.	बृजेश कुमार	डिहरा	
9.	अमित कुमार	डिहरा	

10.	Yash Kumar	Dihra	
11.	शुभम कुमार	डिहरा	शुभम कुमार
12.	शोभा कुमारे	जवनर (डिहरा)	शोभा कुमारे
13.	सतीश कुमार	जवनर (डिहरा)	Satish
14.	गो-उपमा	जवनर (डिहरा)	गो-उपमा
15.	मिहिर सिंह	जवनर डिहरा	मिहिर सिंह
16.	राजेश शर्मा	जवनर डिहरा	राजेश शर्मा
17.	अनीष कुमार	जवनर डिहरा	अनीष कुमार
18.	राजेश्वर नन्द सिंह	जवनर डिहरा	राजेश्वर नन्द सिंह
19.	शिव दत्त सिंह	जवनर डिहरा	शिव दत्त सिंह
20.		Ramesh Kumar	